राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयःबीकानेर

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की तृतीय बैठक

(दिनांक 1 अक्टूबर, 2011)

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की तृतीय बैठक का आयोजन दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 को पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के कान्फ्रेंस हॉल में माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) कर्नल ए.के. गहलोत की अध्यक्षता में किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा संक्षेप में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही प्रगति से अवगत करवाया। अध्यक्ष महोदय ने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्यों के सक्रिय योगदान से विश्वविद्यालय के हित साधित हो सकेंगे। बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची परिशिष्ट–अ पर सलग्न हैं। अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण प्रो. एस.एन. मोर्या– नामित विशेषज्ञ सदस्य, श्री ओ.पी.मीणा–प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं प्रबन्ध संचालक आर.सी.डी.एफ., श्री मनोज शर्मा– निदेशक, (मत्स्य), एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सके।

इस सदन के माननीय सदस्य श्री विजय सिंह लोयल को दिनांक 17 सितंबर, 2011 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पंवार द्वारा राजस्थान के अग्रणी तथा प्रगतिशील किसान एवं पशुपालक के रूप में पुरस्कृत किये जाने पर माननीय कुलपति द्वारा श्री लोयल का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के एक सदस्य का इस प्रकार सम्मान प्राप्त करना विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व की बात है। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय प्रो. (डॉ.) कर्नल ए.के. गहलोत तथा सदस्य सचिव एवं रजिस्ट्रार श्री एस.एस. पंवार द्वारा बैठक की विधिवत् कार्यवाही कार्यसूची के अनुरूप संचालित की गई।

एजेंडा नं. 03/ए — **प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 2 जुलाई 2011 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

निर्णय — अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को संक्षेप में प्रबंध मण्डल की द्वितीय बैठक के निर्णयों से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि गत बैठक के संबध में नियत 15 दिवस की अवधि में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतएवं सदन को गत बैठक की कार्यवाही विवरण का यथार्थ अनुमोदन किया गया।

एजेंडा नं. 03/बी — गत बैठक की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन।

निर्णय — पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार की गई बिन्दुवार पालना रिपोर्ट से सदन को अवगत कराया गया। सदन ने निर्णयों की पालना पर सन्तोष व्यक्त करते हुए पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया।

एजेंडा नं. 03/सी

विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

निर्णय

कुल सचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष्य से सदन को अवगत कराया। सदन द्वारा सभी आदेशों का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

एजेंडा नं. 03/डी

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, वल्लभनगर, उदयपुर को बंद करने के निर्णय पर विचार।

निर्णय

सदन द्वारा इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि वी.सी.आई. द्वारा राजस्थान प्रदेश के केवल एक बीकानेर स्थित महाविद्यालय को छोड़कर शेष सभी आठ अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे राजस्थान प्रदेश को पशुपालन के उन्नयन तथा युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो कि राष्ट्र हित में नहीं होगा। सदन द्वारा यह महसूस किया गया कि वी.सी.आई द्वारा राजस्थान प्रदेश के साथ कहीं यह दूर्भावनापूर्ण कार्यवाही तो नही की गई है? सदन ने इस बात पर भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की कि वी.सी.आई. के निर्णय पूर्व में पारित कर दिये गये तथा रिपोर्टों पर विश्वविद्यालय की टिप्पणी बाद में मांगी गई जिसका अब कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता लगता है। सदन द्वारा इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया कि रिपोर्टो के तथ्यों तथा प्रवेश पर रोक के कारणों में गंभीर भिन्नताएं हैं। सदन द्वारा एक स्वर में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वी.सी.आई. संपूर्ण प्रकरण का पुनरीक्षण करवाए एवं विसंगतियों को दूर कर विश्वविद्यालय की रिपोर्टों के आधार पर सभी महाविद्यालयों में तुरंत प्रवेश चालू करे। सदन ने साथ ही यह भी अनुशंषा की कि वल्लभनगर स्थित महाविद्यालय को बंद करने के निर्णय को वापिस लिया जाये क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा वहां किये जा रहे चहुंमुखी उन्नति एवं विकास के प्रयासों को पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है। सदन द्वारा इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि प्रेसिडेंट वी.सी.आई. द्वारा शिष्टाचारवश भी माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिखे गये अर्द्ध शासकीय पत्रों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है जो सोचनीय है। साथ ही सदन ने प्रेसिडेंट, वी.सी.आई. द्वारा तथ्यों से परे मुद्दों को अनावश्यक रूप से महामहिम कुलाधिपति, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिव–पशुपालन विभाग–भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बिना विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे सीधे ही अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे जा रहे हैं। जिनका एक मात्र उद्देश्य विश्वविद्यालय की छवि को धुमिल करना प्रतीत होता है। सदन ने वी.सी.आई. द्वारा अखबारों में निरंतर दिये जा रहे विज्ञापनों पर भी आपत्ति जताई, जिससे आमजन में यह मिथ्या संदेश जा रहा है कि विश्वविद्यालय वी.सी.आई. की रोक के बावजूद कतिपय महाविद्यालयों में प्रवेश दे रहा है जबकि ऐसा कभी नहीं किया गया है। सदन ने एक स्वर में यह निर्णय

एजेंडा नं. 03/जी	विश्वविद्यालय अतिथियों (यूनिवर्सिटी गेस्ट) हेतु प्रदत्त सुविधाओं का प्रावधानः–
निर्णय	सदन ने निर्णय पारित किया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार यूनिविर्सिटी गेस्ट हेतु प्रदत्त सुविधाओं के प्रावधान कर लिये जायें।
एजेन्डा नं. 03/एच	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विचारार्थ प्रस्ताव
एजेन्डा नं0 03/एच–1	भण्डार क्रय नियमों का पुनरीक्षण
निर्णय	प्रबंध बोर्ड ने भण्डार क्रय नियमों के पुनरीक्षण के प्रस्तावित प्रक्रिया को स्वीकृति दी।
एजेण्डा नं0 03/एच–2	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ही यात्रा भत्ता नियमों की पालना हेतुः–
निर्णय	प्रबंध बोर्ड ने विश्वविद्यालय को अधिकृत किया कि इस बाबत नियम बना कर जारी कर दिये जायें।
एजेण्डा नं0 03/एच–3	आकस्मिक स्थितियों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं ऐसे शिक्षको, जो पे–बेन्ड–4 में अपना वेतन आहरित कर रहें हैं, को कुलपति महोदय की अनुशंसा से हवाई यात्रा की स्वीकृति ।
निर्णय	प्रबंध बोर्ड ने विश्वविद्यालय को इस बाबत अधिकृत किया कि ऐसे अधिकारियों एवं शिक्षकों आदि, जो पे–बेन्ड–4 में अपना वेतन आहरण कर रहे है, को परिस्थितिवश आवश्यक होने पर हवाई यात्रा की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
एजेण्डा नं0 03/ एच–4	विश्वविद्यालय की इकाईयों का आन्तरिक अंकेक्षण
निर्णय	सदन द्वारा पारित किया गया कि प्रस्तावानुसार आन्तरिक अंकेक्षण हेतु विश्वविद्यालय किसी भी सक्षम संस्था को संविदा के आधार पर प्रस्तावानुसार अनुबंधित किये जाने हेतु अधिकृत होगा।
एजेण्डा नं0 03/एच–5	संविदा पर या प्लेसमेन्ट एजेन्सी के मार्फत करवाये जाने वाले कार्यो को संपादित करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति को यात्रा भत्ता भुगतान।
निर्णय	सदन द्वारा वित्त नियंत्रक को कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात इस हेतु नियम पारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

पारित किया कि कुलपति महोदय द्वारा स्पष्ट शब्दों में सदन की इस भावना से प्रेसिडेन्ट वी.सी.आई. को अवगत कराया जाये। सदन द्वारा इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया कि वी.सी.आई. द्वारा स्वयं की ही निरीक्षण रिपोर्टों में प्रस्तुत तथ्यों की अनदेखी कर नकारात्मक निर्णय ले लिये गये जिससे उनकी वैधानिकता पर भी स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसी प्रकार सदन ने सहायक कमीश्नर (ए.एच.), पशु पालन विभाग, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से सभी नये खुले पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को रोकने की वैधानिकता पर भी सवाल उठाये तथा मत व्यक्त किया गया कि वी.सी.आई. द्वारा निरीक्षण रिपोर्टो के आधार पर की गई किसी भी सिफारिश के अभाव में विश्वविद्यालय को इस प्रकार के निर्देशों की विधि सम्मतता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा है। सदन ने विश्वविद्यालय को नवानिया वल्लभनगर स्थित महाविद्यालय के विद्यार्थियों के हितार्थ परिस्थितिनुसार उचित निर्णय लेने हेतु भी अधिकृत किया।

एजेंडा नं. 03/ई

डॉ. के.एम.एल. पाठक उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली जो कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर से भारतीय कृषि अनसुंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं की प्रतिनियुक्ति 13 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ाने के प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय

सदन द्वारा इस विषय पर गम्भीरता से सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बाद लंबे विचार विमर्श यह निर्णय पारित किया गया कि डॉ. के.एम. एल. पाठक की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ा दिया जाये। सदन द्वारा आशा व्यक्त की गई कि डॉ. पाठक राज्य तथा विश्वविद्यालय के हितार्थ भारत सरकार के स्तर पर और अधिक गम्भीरता से सार्थक प्रयास करते रहेंगे।

एजेंडा नं. 03/एफ

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (वी.सी.आई.) के पत्र दिनांक 24.8.2011 जो कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के जून 2011 में किये गये निरीक्षण के सदर्भ में है, बाबत विचार–विमर्श।

निर्णय

सदन ने पारित किया कि बीकानेर स्थित महाविद्यालय में 60 + 15 विद्यार्थियों की Intake Capacity को बरकरार रखा जाये, क्योंकि केंद्र तथा राज्य सरकारें तो पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, जबकि वी.सी.आई. का निर्णय केन्द्र व राज्य सरकारों की नीतियों के विरूद्ध है। बीकानेर स्थित महाविद्यालय में तो 130 विद्यार्थियों को भी पढ़ाया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि यहां इस संख्या तक के विद्यार्थियों हेतु सभी सुविधायें मौजूद हैं। साथ ही सदन ने यह भी राय जाहिर की कि अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में भी सीटों को राष्ट्र तथा राज्य की आवश्यकता के मद्धेनजर बढ़ाया जाये।

एजेण्डा नं0 03/एच–6 **कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात विश्वविद्यालय आवास प्रदान किया जाना।**

निर्णय सदन द्वारा विश्वविद्यालय को अधिकृत किया कि निदेशक,(कार्य) की अनुशंषा पर विश्वविद्यालय उचित नियम बनाकर आंबटन की विशेष श्रेणी को प्रस्तावानुसार सृजित करे ताकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांग के अभाव में इस श्रेणी में अन्य विश्वविद्यालयों, राज्य व केंद्र सरकारी एवं संस्थाओं के कार्मिकों को भी आवास आबंटित किये जा सकें।

एजेण्डा नं0 03/एच–7 **पुराने या खराब उपकरणों को बाइबेक स्कीम के अन्तर्गत नये उपकरणों से रिप्लेस करना।**

निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा बाइबेक स्कीम के आधार पर उपकरणों की खरीद कर सकने की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा नं0 03/एच–8 **विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शैक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रोमोशन की स्वीकृति।**

निर्णय शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रोमोशन को प्रस्तावानुसार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा नं0 03/एच–9 **रिक्त पदों को भरे जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति।**

निर्णय रिक्त पदों को भरने हेतु विश्वविद्यालय को प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं नियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया।

एजेन्डा नं. 03/एच –10 **स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर से इस विश्वविद्यालय से सबंधित कर्मचारियों के पी.एफ., पेंशन कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्यूटी, आर.पी.एम. एफ., वेलफेयर स्कीम इत्यादि की राशि का अभी तक इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरण नहीं किया गया पर विचार विर्मश।**

निर्णय सदन के सभी सदस्यों ने इस बाबत गंभीर चिंता जताई की विश्वविद्यालय में समाहित दोनों कृषि विश्वविद्यालयों से आए कर्मचारियों का पी.एफ. , पेंशन कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्यूटी की राशि जो दोनों विश्वविद्यालयों ने उस समय के पेटे जमा है, जब इनकी सबंधित इकाईयां उपरोक्त विश्वविद्यालयों में से किसी एक के अधीन थी इस राशि को इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप यहां के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन देने, पी.एफ., ग्रेच्यूटी इत्यादि के भुगतान में गंभीर कठिनाई उत्पन्न रही है।

सदन को वित्त नियंत्रक महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि आर.पी.एम.एफ.,

यू.पी.एफ., ई.पी.एफ., वेलफेयर स्कीम, एन.पी.एस. (पेंशन), छठे पे कमीशन के एरियर का भुगतान, उक्त विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे क्वाटर्स का किराया, बिजली, पानी इत्यादि का भुगतान, जिसकी कटौती संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तो हर माह कर ली जाती है मगर इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित नहीं की जा रही है।

उपरोक्त दोनों विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति के चलते यह भी आशंका व्यक्त की कि इस राशि का जो कि कर्मचारियों की निजी राशि के रूप में विश्वविद्यालयों के पास है का अन्यत्र उपयोग होने तथा संबंधित खातों में बैलेंस कम होने की संभावना भी है।

सदन ने यह पारित किया कि विश्वविद्यालय की ओर से दोनों विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक विभागों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उपरोक्त राशि के तुरंत हस्तांतरण की मांग की जाए ताकि यहां कार्यरत कर्मचारियों को उनका देय दिया जा सके। सदन ने दोनों विश्वविद्यालयों से डेढ़ वर्ष के पश्चात भी इस संबंध में कार्यवाही नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की एवं आपत्ति जताई।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ संपन्न हुई।

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

राजस्थान पशु चिकिसा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांकःएफ–2( )/बोम मीटिंग/राजूवास/2011/937 दिनांकः– 7 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,(आयोजना) राज0 जयपुर।
5. समस्त माननीय सदस्यगण।
6. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/इकाई प्रभारी अधिकारी, राजूवास, बीकानेर।
7. नोडल अधिकारी यूनिवर्सिटी वेबसाईट, राजूवास, बीकानेर।

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

परिशिष्ट–अ

प्रबंध बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 में उपस्थित सदस्यों की सूचि

S. No.	Name with Designation	
1.	Prof. A.K. Gahlot, Vice-Chancellor, RAJUVAS, Bikaner -	**In Chair**
2.	Sh. Ram Naraian Meena, MLA	
3.	Sh. Prabhu Ram Poshak, Merata	
4.	Sh. Vijay Singh Loyal, Jhunjhunu	
5.	Smt. Krishna Solanki, Jaipur	
6.	Dr. K.M.L. Pathak, Deputy Director General (Animal Science), ICAR, New Delhi	
7.	Dr. Rajesh Sharma, Director of Animal Husbandry, Government of Rajasthan, Jaipur	
8.	Dr. N.V. Patil, Director, National Research Centre on Camel, Jorbeer, Bikaner	
9.	Dr. Sutej Bhan Singh Yadav, Dean, CVAS, Bikaner & Director Research RAJUVAS, Bikaner	
10.	Dr. Ram Krishna Tanwar, Director of Clinics, RAJUVAS, Bikaner	
11.	Sh. Y.K. Singh, Comptroller, RAJUVAS, Bikaner	- Invitee
12.	Sh. S.S. Pawar, Registrar, RAJUVAS, Bikaner	**-Member Secretary**